पत्र संख्या-वि0(27)-पे0को0-04/2025- /वि0,

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार,
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग, बिहार, पटना ।

सेवान्त लाभ बैठक 28.04.2025 को निर्धारित ।

पटना, दिनांक-

विषयः- पेंशन एवं सेवान्त लाभ/नई पेंशन योजना "NPS" से संबंधित लम्बित मामलों के समीक्षा हेतु सभी विभाग के नोडल पदाधिकारियों की दिनांक-28.04.2025 को आयोजित बैठक के संबंध में ।

प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्रांक-31(पें0), दिनांक 15.01.2025

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि माह-अप्रैल, 2025 में पेंशन एवं सेवान्त लाभ के लम्बित मामलों से संबंधित विषयों पर सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों की बैठक दिनांक-28.04.2025 को आहूत की गयी है । यह बैठक पुराना सचिवालय के सभा कक्ष में समय 11:00 बजे(पूर्वाह्न) से 12:00 बजे(अपराह्न) तक आयोजित है ।

2. वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्रों (I to V) में भरकर मासिक प्रतिवेदन बैठक के एक सप्ताह पूर्व (एक प्रति में) भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

3. विहित प्रपत्र (I to V) वित्त विभागीय पत्रांक-499, दिनांक-03.09.2020 द्वारा सभी विभागों को उपलब्ध करा दिया गया है । प्रपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि एक वर्ष पूर्व एवं पांच वर्ष पूर्व के लंबित मामले की सूची उपलब्ध कराना है । अतएव प्रपत्र में उक्त निदेश के आलोक में ही वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाय ।

4. भविष्य निधि निदेशालय/कार्यालयें के स्तर पर लम्बित मामलों की सूची लेखा संख्या अंकित कर विभागीय पत्रांक/दिनांक सहित मासिक प्रतिवेदन के साथ (दो प्रति में) देना सुनिश्चित किया जाय ।

बैठक में विचारणीय विषय निम्नांकित है-

(क) मुख्यालय/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन एवं सेवान्त लाभ के स्वीकृति की स्थिति ।
(ख) विभागीय स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन ।
(ग) तीन माह से अधिक समय से लम्बित पेंशन एवं सेवान्त लाभ के मामलों में विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी पर कृत कार्रवाई की सूचना ।
(घ) जिला भविष्य निधि कार्यालयों/भविष्य निधि निदेशालय में सेवा निवृत्त/मृत कर्मियों के लम्बित अंतिम निकासी के मामले ।

.............2

5. विगत कुछ बैठको में समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि कुछ विभागों से नोडल पदाधिकारी नहीं बल्कि ऐसे प्रतिनिधि बैठक मे शामिल होते है, जिन्हें विषय-वस्तु की जानकारी ही नहीं होती है । ऐसी स्थिति में समुचित समीक्षा नहीं हो पाने से बैठक का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है ।

6. अतः अनुरोध है कि दिनांक 28.04.2025 को आहूत बैठक में प्रेषित प्रतिवेदन के साथ भाग लेने हेतु विभाग के नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विनय कुमार)

संयुक्त आयुक्त ।

ज्ञापांक- दिनांक-

प्रतिलिपि : संयुक्त आयुक्त(वित्तीय प्रशासन), प्रभारी लेखा शाखा, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वित्त विभागीय पत्रांक-31(पें0), दिनांक-15.01.2025 के आलोक में उक्त तिथि में सभा कक्ष का आरक्षण की सूचना उपलब्ध कराने तथा निर्धारित बैठक में उपस्थित नोडल पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों हेतु पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

ह0/-

संयुक्त आयुक्त ।

ज्ञापांक- दिनांक-

प्रतिलिपि : संयुक्त आयुक्त(लेखा प्रशासन), भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि निदेशालय से किसी पदाधिकारी को सेवांत लाभ बैठक में भाग लेने के लिए निदेशित करने की कृपा की जाय।

ह0/-

संयुक्त आयुक्त ।

ज्ञापांक- दिनांक-

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि सेवान्त लाभ बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय ।

ह0/-

संयुक्त आयुक्त ।

ज्ञापांक- 292(पें0) दिनांक- 16-04-2025

प्रतिलिपि : श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.4.25

संयुक्त आयुक्त ।